

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्र विद्य नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, कानूनगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खिड़की केवल आवासीय उपयोग के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी-1

आवासीय

आवेदन क्रमांक 152 दिनांक 27/06/2019
 प्रार्थी का नाम श्री अरुण कुमार शर्मा एवं श्रीमती अरुणा शर्मा
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र
 कर स्वनिर्धारण सॉलर रूपरेखा 6982/1/1/1/1
 जमिये समेत मन्ख्या 028/3339/3330
 दिनांक 27/06/2019 को जमा करा दी है।

पं. No. 23/853 कॉम्पासकी
 डी.डी. नं. 028

प्रारक्षक
 नगर निगम, जोधपुर

27/06/2019
 मोहन मोहं
 सहायक नगर निगम
 नगर निगम, जोधपुर

[Handwritten signature]

9413029994